



मध्य बिहार ग्रामीण बैंक

Madhya Bihar Gramin Bank

(Sponsored by : Punjab National Bank)

प्रधान कार्यालय श्री ,विष्णु कॉमर्शियल काम्प्लेक्स,
न्यू बायपास ,NH-30,आसोचक, पटना-800016

सूचना

माननीय उच्चतम न्ययालय के आदेश दिनांक 25.04.2018, DFS, MOF, GOI के अनुमोदन एवं NABARD द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश के आलोक में माननीय बोर्ड द्वारा अपने बैठक दिनांक 31.10.2018 में MADHYA BIHAR GRAMIN BANK (EMPLOYEES') PENSION REGULATION 2018 एवं MADHYA BIHAR GRAMIN BANK (OFFICERS' AND EMPLOYEES' SERVICE (AMENDMENT) REGULATIONS 2018 अनुमोदनोप्रांत "भारत का राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि 12.12.2018 से प्रभावी हो गया है ।

उक्त आलोक में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, पटना एवं समामेलन पूर्व के भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, नालंदा ग्रामीण बैंक, मगध ग्रामीण बैंक एवं पाटलिपुत्रा ग्रामीण बैंक के सभी सेवानिवृत्त कर्मियों/मृत कर्मियों के पति/पत्नी अथवा वैध उत्तराधिकारी को सूचित किया जाता है कि पेंशन विकल्प के चयन हेतु अपना प्राधिकार पत्र विहित फॉर्म में दिनांक 11.04.2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से प्रधान कार्यालय को उपलब्ध करावें तथा EPFO (EPS, 1995) से प्राप्त धनराशी का वह हिस्सा जो बैंक द्वारा अंशदानित (ब्याज सहित) है, को दिनांक 11.04.2019 के उपरांत अधिकतम 60 दिनों के अंदर बैंक को वापस करना सुनिश्चित करें ।

पेंशन विकल्प के चयन हेतु प्राधिकार पत्र मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ।

विजय शर्मा

महाप्रबंधक (मा.सं.वि.वि.)

